



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223160
CG-DL-E-18112020-223160

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3633]
No. 3633]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2020/कार्तिक 27, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2020/KARTIKA 27, 1942

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2020

का.आ. 4134 (अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

“भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्, अधिनियम 1970 की दूसरी अनुसूची के “आयुर्वेद और सिद्ध” से संबंधित भाग-1 में, “राजस्थान” शीर्ष के अधीन क्रम संख्या 92ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के प्रश्नात, स्तम्भ 1, 2, 3, 4, और 5 में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां, रखी जाएगी अर्थात्:-

1	2	3	4	5
“92ग	टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर, राजस्थान	आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. आयुर्वेद	फरवरी 2020 से आगे, यदि निम्नलिखित महाविद्यालय में वर्ष 2016 से आगे केंद्रीय सरकार की अनुमति से छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, अर्थात्:- श्री गंगानगर कालेज आफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हास्पिटल, हनुमानगढ़ रोड, रिको के पास, श्री गंगानगर- 335002, राजस्थान।”

[फा. सं. एल-14030/32/2019-ईपी-1]

पी. एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची को अधिसूचना संख्या का.आ. 4068(अ), तारीख 30 नवम्बर, 1979 द्वारा पहली बार संशोधित किया गया था और अधिसूचना सं. का.आ. 3360(अ), तारीख 21 सितम्बर, 2020 को अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2020

S.O. 4134 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In the Indian Medicine Central Council Act, 1970, in the Second Schedule, in Part-I relating to “Ayurveda and Siddha”, under the heading “Rajasthan”, after serial number 92B and the entries related thereto, the following serial number and entries in column 1, 2, 3, 4 and 5 shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5
“92C	Tantia University, Sri Ganganagar, Rajasthan	Ayurved Vachaspati	MD Ayurveda	From February, 2020 onwards if awarded to the students who were admitted with the permission of Central Government in the year 2016 onwards in, Shri Ganganagar College of Ayurvedic Science & Hospital, Near RIICO, Hanumangarh Road, Sri Ganganagar-335002, Rajasthan”

[F. No.L-14030/32/2019-EP-1]

P. N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was first amended *vide* notification number S.O. No. 4068(E), dated the 30th November, 1979 and was last amended *vide* notification number S.O. No. 3360(E), dated the 21st September, 2020.